



ISO 9001:2008

# हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण

प्रीत विहार, दिल्ली रोड, हापुड़-245101. ☎ 0122-2308764-65  
वेबसाइट: www.hpdaonline.com, ई-मेल: hpda\_1@rediffmail.com

## आवंटन / किश्त पत्र

सेवा में,

MRS. KAMLESH KUMARI  
MR. NIJENDER KUMAR  
VILLAGE ANWARPUR  
TEHSIL HAPUR  
HAPUR-245101



पत्र सं० / 2215 / आनन्द विहार(241) / सम्पत्ति / 19

दिनांक :- 12-1-19

विषय: आनन्द विहार आवासीय योजना (कोड-241) में दुर्बल आय वर्ग (चार मंजिले) श्रेणी के अन्तर्गत भवन सं० HE-46B के आवंटन के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उक्त विषयक में सहर्ष सूचित करना है कि लाटरी ड्रा दिनांक 30/11/2018 में आपके आवेदन पत्र सं० 424 के क्रम में आनन्द विहार आवासीय योजना में दुर्बल आय वर्ग (चार मंजिले) श्रेणी के अन्तर्गत भवन सं० HE-46B आपके पक्ष में आवंटित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. योजना का नाम : आनन्द विहार योजना | 5. सम्पत्ति श्रेणी : दुर्बल आय वर्ग |
| 2. योजना कोड : 241                  | 6. अनुमानित मूल्य : ₹० 525000/-     |
| 3. आवंटी कोड : 241/EWS/04/10        | 7. पंजीकरण धनराशि: ₹० 26250/-       |
| 4. भवन संख्या : HE-46B              | 8. आरक्षण धनराशि : ₹० 105000/-      |

आपके पक्ष में उक्त भवन का आवंटन आप द्वारा प्रदत्त सूचनाओं/अभिलेखों के आधार पर, उनको सही मानते हुए, किया गया है; जिसके मिथ्या या असत्य पाये जाने पर अथवा किसी दिये गये तथ्य को गलत पाये जाने पर अथवा पंजीकरण पुस्तिका के किसी भी नियम/शर्त के उल्लंघन की दशा में आपका आवंटन स्वतः निरस्त माना जायेगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा। साथ ही आपको सक्षम अधिकारी के स्तर से निर्गत अपना आय प्रमाण पत्र आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। यह आवंटन/किश्त पत्र अनंतिम (Provisional) रूप से निर्गत किया जा रहा है। उक्त शर्तों के साथ अनुरोध करना है कि कृपया दिनांक 20/02/2019 तक आवंटन धनराशि ₹० 105000/- एवं अवशेष धनराशि निम्न विवरण के अनुसार बैंक ड्राफ्ट के रूप में सिण्डिकेट बैंक, हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण परिसर, प्रीत विहार, हापुड़ में जमा करने का कष्ट करें:-


क्रम सं०	मूल धनराशि ₹०	ब्याज ₹	देय किश्त ₹०	देय अन्तिम दिनांक (बैंक में अवकाश होने की स्थिति में इससे पूर्व का कार्यदिवस)
1	9873	9991	19864	20-May-2019
2	9843	9741	19584	20-Aug-2019
3	9843	9491	19334	20-Nov-2019
4	9843	9241	19084	20-Feb-2020
5	9843	8992	18835	20-May-2020
6	9843	8742	18585	20-Aug-2020
7	9843	8492	18335	20-Nov-2020
8	9843	8242	18085	20-Feb-2021
9	9843	7993	17836	20-May-2021
10	9843	7743	17586	20-Aug-2021

क्रमशः-2

11	9843	7493	17336	20-Nov-2021
12	9843	7243	17086	20-Feb-2022
13	9843	6993	16836	20-May-2022
14	9843	6744	16587	20-Aug-2022
15	9843	6494	16337	20-Nov-2022
16	9843	6244	16087	20-Feb-2023
17	9843	5994	15837	20-May-2023
18	9843	5745	15588	20-Aug-2023
19	9843	5495	15338	20-Nov-2023
20	9843	5245	15088	20-Feb-2024
21	9843	4995	14838	20-May-2024
22	9843	4746	14589	20-Aug-2024
23	9843	4496	14339	20-Nov-2024
24	9843	4246	14089	20-Feb-2025
25	9843	3996	13839	20-May-2025
26	9843	3746	13589	20-Aug-2025
27	9843	3497	13340	20-Nov-2025
28	9843	3247	13090	20-Feb-2026
29	9843	2997	12840	20-May-2026
30	9843	2747	12590	20-Aug-2026
31	9843	2498	12341	20-Nov-2026
32	9843	2248	12091	20-Feb-2027
33	9843	1998	11841	20-May-2027
34	9843	1748	11591	20-Aug-2027
35	9843	1499	11342	20-Nov-2027
36	9843	1249	11092	20-Feb-2028
37	9843	999	10842	20-May-2028
38	9843	749	10592	20-Aug-2028
39	9843	500	10343	20-Nov-2028
40	9843	250	10093	20-Feb-2029

बैंक ड्राफ्ट उपाध्यक्ष, हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड़ के पक्ष में देय तथा हापुड़ में भुगतान योग्य होना चाहिये। चेक के माध्यम से भुगतान स्वीकार नहीं किया जायेगा। निर्धारित अवधि में भुगतान न होने की दशा में देय राशि पर विलम्ब अवधि हेतु 13.15 प्रतिशत ब्याज अतिरिक्त देय होगा। कुल देय धनराशि जमा कराने के उपरान्त निबन्धन की कार्यवाही पूर्ण कर कब्जा लिया जाना आवश्यक है। किसी भी विवाद की स्थिति में उपाध्यक्ष, हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।

कृपया भविष्य में किसी भी पत्राचार हेतु भवन संख्या, आवंटी कोड एवं योजना कोड का उल्लेख अवश्य करने का कष्ट करें।



सम्पत्ति अधिकारी  
हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण  
हापुड़